UPBS010054812025

न्यायालय द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, जनपद बस्ती।

पीठासीन अधिकारी- जितेन्द्र गुप्ता , (एच०जे०एस०) UP2665

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-218/2025

श्रीकान्त बनाम उमाशंकर आदि

दिनांक 29-04-2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों को प्रार्थनापत्र 7 ग 2 अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

आवेदक अपीलार्थी की तरफ से प्रार्थनापत्र 7 ग 2 अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम,1963, समर्थित शपथ पत्र 8 ग 2 प्रस्तुत करके यह कथन किया गया है कि मूलवाद सं० 121/1992 में दरख्वास्त 6 ग पर पारित आदेश दिनाँक 02.09.2025 की जानकारी प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनाँक 30.09.2025 को हुई। उसी दिन प्रार्थी ने अधिवक्ता को आदेश एवं फार्मल डिक्री के नकल हेतु आवश्यक खर्चा दे दिय, जिसमें नकलम प्राप्त करने हेतु 15 दिन बाद बुलाया गया और जब प्रार्थी दिनाँक 17.09.2025 को अधिवक्ता से मिला तो पता चला कि भूलवश नकल हेतु प्रार्थना दिनाँक 09.10.2025 को दे दिये जिससे प्रार्थी की अपील कालबाधित हो गयी, तुरन्त प्रार्थी ने दूसरे अधिवक्ता के माध्यम से अपील तैयार कराकर दाखिल कर रहा है। अपील दाखिल करने में प्रार्थी ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अपितु पूर्व अधिवक्ता एवं मुन्शी की भूलवश विलम्ब हुआ है। ऐसी दशा में प्रार्थी को हस्ब दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दफा 5 मियाद अधिनियम का लाभ देकर तथा विलंब को क्षमा करके अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना जाय।

उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थी/अपीलार्थी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2025 के विरुद्ध अपील संस्थित की है। मुंसरिम की आख्यानुसार सिविल अपील दाखिल करने में 15 दिन का विलम्ब है। आवेदक द्वारा विलम्ब का यह कारण दिया गया है कि उसके पूर्व अधिवक्ता ने अपील किए जाने के सिलसिले में आवश्यक कागजात एवं पैरवी के बाबत खर्चा ले लिया था और अपीलार्थी को बताएं कि जब आवश्यक होगा तब कचहरी में बुलाया जाएगा। इस दौरान अपीलार्थी पूर्व अधिवक्ता को पैरवी का खर्चा देते रहे और वह मिथ्या रूप से अपीलार्थी को तारीख की जानकारी देते रहे, परन्तु उन्होंने न तो कोई अपील दाखिल किया है और न ही अपील की विधिक प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी दिया केवल खर्चा लेते रहे। अपीलार्थी ने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं किया है। उक्त कथन के समर्थन में शपथपत्रग 8 ग 2 दाखिल किया गया है।

विलम्ब के क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एम 0 बालकृष्णनन प्रति एन 0 कृष्णमूर्ति ए 0 आई 0 आर 0 1998 एस 0 सी0 सी0 पृष्ठ**

सं0-3223 में दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित पर्याप्त कारण के प्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वस्तुतः न्यायालय में निहित विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए यह पूर्व शर्त है कि पर्याप्त कारण को साबित किया जाय किन्तु विशेषाधिकार का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जायेगा जिससे विशेषाधिकार कठोर विधि के रूप में परिवर्तित हो जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पा बनाम मधुर व अन्य 2001(1)जे०आई०सी०-588(सुप्रीम कोर्ट)** के मामले में कहा है कि यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध है और पुनरीक्षण की शक्ति को प्रयोग कर उसको सही किये जाने की आवश्यकता है, तो तकनीकी आधार पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यदि विलम्ब का पर्याप्त कारण दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के प्रकाश में तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी की ओर से विलम्ब का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। मामले के गुणदोष पर निस्तारण हेतु विलम्ब को माफ किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। विपक्षी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थना पत्र 7ग2, अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम मु०-500/रू० हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 7ग2 अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु, मु०-500/रू०(पॉच सौ रूपये) हर्जे पर **<u>स्वीकार</u>** किया जाता है। तद्नुसार सिविल अपील दाखिल करने में कारित विलंब क्षमा किया जाता है। सिविल अपील के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, बस्ती, के न्यायालय में दिनांक 19-05-2026 को पेश हो।

दिनांक- 29-04-2026

(जितेन्द्र गुप्ता)
J.O. Code-U.P.2665
द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-2,बस्ती।